तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.4.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 27.6.23 को पेश हो।
15.5.23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के तहत चिन्हित की गई है। अतः पत्रावली केम्प दिनांक 18.5.23 को पेश हो।
18.5.23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के तहत आज केम्प गुढा [illegible] में पेश हुई। पत्रावली पूर्वादेशानुसार नियत तिथि 27.6.23 को पेश हो।
27.6.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 25.7.23 को पेश हो।
25.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही किये। पूर्व में स्वतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द के आदेश किये जा चुके है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व आदेश दिनांक 24.4.2017 के अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.7.23 को पेश हो।
28.7.23	पत्रावली पेश [illegible] पक्षकारान उपस्थित है। [illegible] सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महोदय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने के दिशानिर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी। प्रकरण धारा 251'क' के तहत प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया है। पत्रावली वर्ष 2018 से जैरकार है। पक्षकारान की तलबी के पश्चात् आदेशिका दिनांक 12.7.22 के बाद प्रतिवादीगण / अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 5 से अधिक अवसर देने के उपरान्त भी अपीलान्ट / प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए। माननीय न्यायालय RAA Kota के निर्णय की अनुपालना में अपीलान्ट / प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की गई। पत्रावली में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.04.2017 के अतिरिक्त कोई नया विचारणीय बिन्दु प्रकट नहीं हुआ है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट का ही हवाला दिया है। अतः न्यायालय पूर्व निर्णय दिनांक 25.0[illegible] को [illegible] रखना उचित समझता है। [illegible]वली में इस न्यायालय [illegible] निर्णय दिनांक 25.0[illegible] रखने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:32 IST
Reason: SelfAttested